

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह के आपराधिक क्रियाकलाप के निवारण और नियंत्रण, और उससे निपटने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “दुष्प्रेरण” में, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, निम्नलिखित सम्मिलित है,-

(i) किसी भी व्यक्ति से, इस वास्तविक ज्ञान के साथ या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी रीति से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट की सहायता करने में लगा हुआ है, सम्पर्क या सहयोजन;

(ii) ऐसी कोई भी सूचना, जिससे संगठित अपराध सिंडिकेट को सहायता मिलने की संभावना हो, किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, आगे बढ़ाना या उसका प्रकाशन करना और संगठित अपराध सिंडिकेट से अभिप्राप्त किसी दस्तावेज या सामग्री को आगे बढ़ाना, या उसका प्रकाशन या वितरण करना; और

(iii) संगठित अपराध सिंडिकेट को, चाहे वित्तीय रूप से या अन्यथा, कोई सहायता देना;

(ख) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से, धारा 13 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "निरन्तर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से, तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा ऐसा कोई प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय कोई संज्ञेय अपराध है और जो संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में या ऐसी सिंडिकेट की ओर से या तो अकेले या संयुक्त रूप से किया गया हो, जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती कालावधि के भीतर-भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किये गये हों और ऐसे न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो, अभिप्रेत है;

(ङ) "संगठित अपराध" से, किसी व्यष्टि द्वारा कोई भी ऐसा चालू रहने वाला विधिविरुद्ध क्रियाकलाप, जो या तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में या ऐसी सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से, स्वयं के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, धन-संबंधी फायदे प्राप्त करने के लिए या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के या विद्रोह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधन के उपयोग द्वारा किया गया हो, अभिप्रेत है;

(च) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से, दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, जो सिंडिकेट या गिरोह के रूप में या तो अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए, संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त है, अभिप्रेत है;

(छ) "विशेष न्यायालय" से धारा 5 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(ज) "राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार का प्रशासनिक विभाग अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो संहिता में क्रमशः उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. संगठित अपराध के लिए दण्ड.- (1) जो कोई भी संगठित अपराध का कोई अपराध करता है वह,-

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो, मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो न्यूनतम एक लाख रुपये का होगा;

(ii) किसी भी अन्य मामले में, ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो न्यूनतम पांच लाख रुपये का होगा।

(2) जो कोई भी किसी संगठित अपराध को करने का षड्यंत्र करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या पक्ष समर्थन करता है, दुष्प्रेरण करता है या जानते हुए उसका किया जाना सुकर बनाता है, या संगठित अपराध करने की तैयारी के लिए कोई कार्य करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो न्यूनतम पांच लाख रुपये का होगा।

(3) जो कोई भी किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी भी सदस्य को संश्रय देता है या छिपाता है या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो न्यूनतम पांच लाख रुपये का होगा।

(4) जो कोई भी व्यक्ति, जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा

और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो न्यूनतम पांच लाख रुपये का होगा।

(5) जो कोई भी, किसी संगठित अपराध किये जाने से व्युत्पन्न या प्राप्त, या संगठित अपराध सिंडिकेट निधियों के माध्यम से अर्जित, किसी सम्पत्ति को धारित करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो न्यूनतम दो लाख रुपये का होगा।

4. संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से बिना हिसाब के धन का कब्जा रखने के लिए दण्ड.- यदि किसी भी व्यक्ति के पास संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का कब्जा है या किसी भी समय रहा है, जिसका वह समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता हो तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो न्यूनतम एक लाख रुपये का होगा और ऐसी सम्पत्ति कुर्की और समपहरण के दायित्व के अधीन भी होगी, जैसा कि धारा 20 में उपबंधित है।

5. विशेष न्यायालय.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, या ऐसे मामले या मामलों के समूह या वर्ग के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित कर सकेगी।

(2) जहां किसी भी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत हो, वहां उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) विशेष न्यायालय की पीठासीनता राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, विशेष न्यायालय

की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकेगी।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं हो।

(5) जहां कोई अतिरिक्त न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीशों को विशेष न्यायालय में नियुक्त किया जाता है या किये जाते हैं, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर, विशेष न्यायालय के कार्य को अपने और अतिरिक्त न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीशों में वितरण के लिए और अपनी अनुपस्थिति या किसी भी अतिरिक्त न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक कार्य के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा।

6. विशेष न्यायालय की अधिकारिता.- संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध केवल ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह किया गया है या, यथास्थिति, धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे अपराध के विचारण के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा, विचारणीय होगा।

7. अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की शक्तियां.-

(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे किसी भी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिससे अभियुक्त को, उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोपित किया जाये, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संसक्त हो।

(2) यदि, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किसी भी विचारण के अनुक्रम में, यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के दण्ड के लिए दोषसिद्ध कर सकेगा और इस अधिनियम या,

यथास्थिति, ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश पारित कर सकेगा।

8. लोक अभियोजक.- (1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के समूह के लिए भी कोई विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति तब तक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक वह कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय में न रहा हो।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जायेगा और संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

9. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां.- (1) विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान, अभियुक्त को विचारण के लिए उसके सुपुर्द किये बिना, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, कर सकेगा।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है, तो विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उप-धारा (1) या धारा 262 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप में अपराध का विचारण कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से 265 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण पर लागू होंगे:

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान, विशेष न्यायालय को यह प्रकट होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि यह संक्षिप्त रूप में विचारण के लिए अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय,

किन्हीं साक्षियों को पुनः बुलाएगा, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है और ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति से मामले को पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा और उक्त उपबन्ध, विशेष न्यायालय पर और के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे मजिस्ट्रेट पर और के संबंध में लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, विशेष न्यायालय के लिए दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसके बारे में किसी अपराध में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सरोकार रखने या संसर्गी होने का अनुमान है, साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को, अपराध से सापेक्ष उसकी जानकारी में, की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर उसके द्वारा पूरा और सत्य प्रकटन किये जाने की शर्त पर और उसके किये जाने में, चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में सरोकार रखने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, क्षमा प्रदान कर सकेगा और इस प्रकार प्रदत्त किसी क्षमा को संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए, उसकी धारा 307 के अधीन प्रदत्त किया हुआ समझा जायेगा।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी भी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराधों का विचारण, जहां तक हो सके, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो।

10. विशेष न्यायालय द्वारा विचारण को अग्रता.- विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के विचारण को किसी भी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय नहीं है) में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर अग्रता होगी और वह ऐसे अन्य मामले के विचारण से वरीयता में सम्पन्न किया जायेगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण आस्थगित रहेगा।

11. नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति.- जहां, किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय हो कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है वहां वह, इस बात के होने पर भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध के विचारण के लिए मामला संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय को अन्तरित करेगा और वह न्यायालय, जिसको मामला अंतरित किया जाता है, अपराध के विचारण के लिए इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो अपराध का संज्ञान उसी ने लिया था।

12. अपील.- (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं हो, के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर की जायेगी।

13. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति.- राज्य सरकार, गृह विभाग में अपने अधिकारियों में से किसी को, जो शासन सचिव से नीचे की रैंक का न हो, धारा 14 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

14. तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन का प्राधिकार.- (1) इस अधिनियम के अधीन संगठित अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, अन्वेषण अधिकारी द्वारा तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने वाले किसी आदेश के लिए, सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आवेदन तब प्रस्तुत कर सकेगा, जब ऐसा अन्तररोधन किसी संगठित अपराध में अंतर्वलित किसी अपराध का साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है या उपलब्ध कराया है।

(2) प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी:-

- (क) आवेदन करने वाले अन्वेषक या विधि प्रवर्तन अधिकारी, और उस आवेदन को प्राधिकृत करने वाले विभागाध्यक्ष की पहचान;
- (ख) ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों का विवरण, जिन पर आवेदक अपने विश्वास को न्यायोचित ठहराने के लिए निर्भर है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए कोई आदेश जारी किया जाना चाहिए:-
- (i) ऐसे संगठित अपराध के अपराध का ब्यौरा जो किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाना है;
- (ii) ऐसी सुविधाओं की प्रकृति और उनकी अवस्थिति के बारे विशिष्ट वर्णन जिससे या वह स्थान, जहां से संसूचना को अन्तर्दूध किया जाना है;
- (iii) संसूचना के प्रकार, जिनके लिए अन्तररोधन चाहा गया है का विशिष्ट वर्णन; और
- (iv) संगठित अपराध के किसी अपराध को करने वाले व्यक्ति की पहचान, यदि ज्ञात हो, जिसकी संसूचना को अन्तर्दूध किया जाना है;
- (ग) जांच या खुफिया जानकारी जुटाने के अन्य ढंग के प्रयास किये गये हैं या नहीं, और विफल रहे हैं या यदि प्रयास किया गया है तो वे युक्तियुक्त रूप से सफल प्रतीत क्यों नहीं होते हैं, या वे बहुत खतरनाक हैं या उससे उन व्यक्तियों की पहचान उजागर होने की सम्भावना है, जो अन्तररोधन की कार्यवाही से जुड़े हुए हैं, के बारे में विवरण;
- (घ) उस समयावधि के बारे में कथन, जिसके लिए अन्तररोधन बनाये रखा जाना अपेक्षित है। यदि जांच की प्रकृति ऐसी है कि अन्तररोधन के लिए प्राधिकार स्वतः समाप्त नहीं होना चाहिए, जब संसूचना का

वर्णित प्रकार पहले अभिप्राप्त कर लिया गया है, यह विश्वास करने के लिए कि उसी प्रकार की अतिरिक्त संसूचना इसके पश्चात् प्रकट होगी, संभावित कारण स्थापित करने वाले तथ्यों का विशिष्ट विवरण;

(ड) वैयक्तिक प्राधिकार के लिए ज्ञात पूर्व सभी आवेदनों से संबंधित और अन्तररोधन के लिए प्राधिकृत किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को किया गया आवेदन, या उन्हीं में से लिप्त व्यक्तियों की तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन, आवेदन में विनिर्दिष्ट सुविधाओं या स्थानों के अनुमोदन के लिए और प्रत्येक ऐसे आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित तथ्यों का विवरण; और

(च) जहां आवेदन किसी आदेश का विस्तार करने के लिए है, वहां अन्तररोधन से अब तक प्राप्त परिणाम कथित करते हुए विवरण, या ऐसे परिणामों को अभिप्राप्त करने में विफलता का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण।

(3) सक्षम प्राधिकारी, आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा।

(4) ऐसे आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, आवेदन को नामंजूर कर सकेगा, या तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने का, यथा निवेदित या यथा उपान्तरित, कोई आदेश जारी कर सकेगा, यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी यह अवधारित करता है कि-

(क) यह विश्वास करने का अधिसंभाव्य हेतुक है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन वर्णित किये गये और दण्डनीय बनाये गये किसी विशिष्ट अपराध को कर रहा है, कर दिया है, या करने वाला है;

- (ख) यह विश्वास करने का अधिसंभाव्य हेतुक है कि उस अपराध से संबंधित विशिष्ट संसूचनाएं, ऐसे अन्तररोधन के माध्यम से अभिप्राप्त की जायेंगी;
- (ग) जांच और खुफिया जानकारी जुटाने के सामान्य ढंग के प्रयास किये गये हैं, और विफल हो गये हैं, या यदि प्रयास किया गया है तो वे युक्तियुक्त रूप से सफल प्रतीत नहीं होते हैं, या बहुत खतरनाक हैं या उनसे अन्तररोधन के संचालन से जुड़े हुए व्यक्तियों की पहचान उजागर होने की सम्भावना है;
- (घ) यह विश्वास करने का अधिसंभाव्य हेतुक है कि सुविधाएं, जिनसे, या वह स्थान जहां तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अन्तररोधन किया जाना है या ऐसा अपराध कारित करने के संबंध में उपयोग की गयी हैं या उपयोग की जाने वाली हैं, जो ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया है, या उसके नाम से सूचीबद्ध है, या उसके द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है।

(5) इस धारा के अधीन किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:-

- (क) ऐसे व्यक्ति की पहचान, यदि ज्ञात हो, जिसकी संसूचना का अन्तररोधन किया जाना है;
- (ख) संसूचना सुविधाओं की प्रकृति, जिनके बारे में, या स्थान की अवस्थिति जहां, अन्तररोधन का प्राधिकार प्रदान किया जाये;
- (ग) संसूचना, जिसके लिए अन्तररोधन चाहा गया है, के प्रकार का विशिष्ट विवरण, और विशिष्ट अपराध, जिससे यह संबंधित है, का विवरण;

(घ) संसूचना का अन्तररोधन करने के लिए प्राधिकृत अभिकरण, और आवेदन को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की पहचान; और

(ङ) ऐसे कथन, कि जब वर्णित संसूचना पहले ही प्राप्त हो गयी हो तो अन्तररोधन स्वतः ही समाप्त हो जायेगा या नहीं, को सम्मिलित करते हुए वह समयावधि, जिसके दौरान ऐसा अन्तररोधन प्राधिकृत किया जाता है।

(6) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के तुरन्त पश्चात्, किन्तु किसी भी दशा में आदेश पारित किये जाने से सात दिवस के अपश्चात्, धारा 15 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को, अपने द्वारा आदेश पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए, उक्त आदेश के संबंध में समस्त सुसंगत अंतर्निहित कागज-पत्र, अभिलेख और अपने निष्कर्ष इत्यादि सहित, उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(7) इस धारा के अधीन किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन को प्राधिकृत करने वाले किसी आदेश में आवेदक के निवेदन पर, यह निदिष्ट होगा कि तार या इलेक्ट्रानिक संसूचना सेवा का प्रदाता, भू-स्वामी, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति, ऐसी सेवाओं के बिना अन्तररोध और सहज रूप से और न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अन्तररोधन को पूरा करने के लिए आवश्यक समस्त सूचनाएं, सुविधाएं और तकनीकी सहायता तत्काल आवेदक को देगा, कि ऐसा सेवा प्रदाता, भू-स्वामी, संरक्षक, या व्यक्ति, उस व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवा रहा है, जिसकी संसूचना का अन्तररोधन किया जाना है।

(8) इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन को, ऐसी किसी कालावधि से अधिक के लिए, जितनी कि प्राधिकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, जो किसी भी दशा में साठ दिवस से अधिक की न हो, प्राधिकृत या अनुमोदित नहीं कर सकेगा। ऐसे साठ दिवस की कालावधि, उस दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस, जिसको अन्वेषक या विधि प्रवर्तन अधिकारी ऐसे आदेश के अधीन किसी अन्तररोधन के संचालन

को प्रथम बार प्रारम्भ करता है या आदेश जारी किये जाने के दस दिवस के पश्चात्, जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगी। किसी आदेश का विस्तार उप-धारा (1) के अनुसार विस्तार के लिए किये गये आवेदन पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित निष्कर्ष पर ही प्रदान किया जा सकेगा। विस्तार की कालावधि, उन प्रयोजनों, जिनके लिए यह प्रदान किया गया था, को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कालावधि से अधिक की नहीं होगी और किसी भी दशा में एक बार में साठ दिवस से अधिक की नहीं होगी। प्रत्येक आदेश और उसके विस्तार में यह उपबंध अंतर्विष्ट किया जायेगा कि अन्तररोधन का प्राधिकार, यथासाध्य शीघ्रता से, निष्पादित किया जायेगा और इस धारा के अधीन अन्यथा अन्तररोधन के अध्यक्षीन रहते हुए, उसे ऐसे तरीके या रीति से संचालित किया जायेगा ताकि संसूचना का अन्तररोधन न्यूनतम हो और प्राधिकृत उद्देश्यों की प्राप्ति पर या किसी भी दशा में आदेश की कालावधि के अवसान पर समाप्त हो जायेगा। अन्तररोधित संसूचना के ऐसे मामले में, जब वह किसी संकेत-लिपि या विदेशी भाषा में है, और उस विदेशी भाषा या संकेत-लिपि का विशेषज्ञ, अन्तररोधन अवधि के दौरान उचित रूप से उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अन्तररोधन के पश्चात्, यथासाध्य शीघ्रता से, न्यूनीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी। इस धारा के अधीन कोई अन्तररोधन, किसी लोक सेवक द्वारा या अन्तररोधन संचालित करने के लिए प्राधिकृत अन्वेषक या विधि प्रवर्तन अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यरत, राज्य सरकार के साथ किसी संविदा के अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पूर्णतः या भागतः संचालित किया जा सकेगा।

(9) जब कभी अन्तररोधन को प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश इस धारा के अनुसरण में जारी किया जाता है, तो आदेश में, उस सक्षम प्राधिकारी, जिसने प्राधिकृत उद्देश्य को पूरा करने की प्रगति और निरंतर अन्तररोधन की आवश्यकता दर्शित करते हुए आदेश जारी किया है, को की जाने वाली रिपोर्ट अपेक्षित हो सकेगी। ऐसी रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों पर, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी अपेक्षा करे, की जायेगी।

(10) इस धारा के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अधिकारी, जो पुलिस अपर महानिदेशक से नीचे की रैंक का न हो, जो युक्तियुक्त रूप से यह अवधारित करता है कि-

(क) कोई आपात स्थिति विद्यमान है, जिसमें निम्नलिखित अंतर्वलित हैं-

- (i) किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति का आसन्न संकट;
- (ii) राज्य की सुरक्षा या हित को जोखिम में डालने वाले षड्यंत्रकारी क्रियाकलाप;
- (iii) षड्यंत्रकारी क्रियाकलाप, संगठित अपराध के लक्षण, जो ऐसे अन्तररोधन को प्राधिकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी से किसी आदेश, जो सम्यक तत्परता से अभिप्राप्त किया जा सकता है, के पूर्व किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को अवरोधित किया जाना अपेक्षित है; और

(ख) ऐसे अन्तररोधन को प्राधिकृत करने के लिए ऐसे आधार हैं, जिन पर इस धारा के अधीन कोई आदेश जारी किया जा सकता है,

तो वह अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसे तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा, यदि अन्तररोधन का अनुमोदन करने वाले किसी आदेश के लिए कोई आवेदन, अन्तररोधन होने के पश्चात् या उसके प्रारम्भ होने से अड़तालीस घण्टे के भीतर उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

(11) उप-धारा (10) के अधीन किये गये अन्तररोधन को अनुमोदित करने वाले किसी आदेश के अभाव में, ऐसा अन्तररोधन तुरन्त समाप्त हो जायेगा, जब चाही गयी संसूचना अभिप्राप्त हो जाती है या जब आदेश के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है, जो भी पहले हो। ऐसी दशा में, जहां उप-धारा (4) के अधीन अन्तररोधन की अनुज्ञा देने के लिए कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है या अनुमोदन के लिए कोई आवेदन

उप-धारा (10) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है, या किसी अन्य मामले में, जहां अन्तररोधन किसी आदेश के जारी किये बिना समाप्त किया जाता है तो अवरोधित किये गये किसी तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु इस धारा का अतिक्रमण करके अभिप्राप्त की गयी समझी जायेगी।

(12) (क) इस धारा द्वारा प्राधिकृत किन्हीं भी साधनों के माध्यम से अवरोधित किसी तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु, यदि संभव हो, टेप या तार या अन्य तुल्य युक्ति पर रिकार्ड की जायेगी। इस उप-धारा के अधीन किसी तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तुओं की रिकार्डिंग ऐसी पद्धति से की जायेगी, जो रिकार्डिंग को बदलाव या अन्य परिवर्तनों से सुरक्षित रखेगी। आदेश या उसके विस्तार की कालावधि की समाप्ति पर, तुरन्त ऐसी रिकार्डिंग, ऐसे आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी जायेगी और उसके निदेशों के अधीन मुहरबंद की जायेगी। रिकार्डिंग की अभिरक्षा वहां होगी जहां के लिए सक्षम प्राधिकारी आदेश करे। उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सिवाय नष्ट नहीं किया जायेगा और किसी भी दशा में दस वर्ष के लिए रखा जायेगा;

(ख) इस धारा के अधीन किये गये आवेदन और जारी किये गये आदेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुहरबंद किये जायेंगे। आवेदनों और आदेशों की अभिरक्षा वहां होगी जहां के लिए सक्षम प्राधिकारी निदेश दे, और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सिवाय नष्ट नहीं किया जायेगा, और किसी भी दशा में, दस वर्ष के लिए रखा जायेगा।

(ग) सक्षम प्राधिकारी, किसी प्रस्ताव के फाइल किये जाने पर अपने विवेक से, ऐसे व्यक्ति या उसके काउंसिल को, निरीक्षण के लिए अवरोधित संसूचना, आवेदनों और आदेशों का ऐसा भाग, जो सक्षम प्राधिकारी न्याय के हित में अवधारित करता है, उपलब्ध करवा सकेगा।

(13) संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन के माध्यम से संगृहीत साक्ष्य किसी मामले के

विचारण के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा:

परन्तु इस धारा के अनुसरण में अवरोधित किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तु या उससे व्युत्पन्न साक्ष्य को किसी न्यायालय में किसी विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा या अन्यथा प्रकट नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रत्येक पक्षकार को विचारण, सुनवाई या कार्यवाही से कम से कम दस दिवस पूर्व, सक्षम प्राधिकारी के आदेश, जिसके अधीन अन्तररोधन प्राधिकृत या अनुमोदित किया गया था, की एक प्रति, आवेदन के साथ, नहीं दे दी गयी हो; नहीं कर दे:

परन्तु यह और कि इस दस दिवस की कालावधि को, मामले का विचारण करने वाले न्यायाधीश द्वारा अधित्यजित किया जा सकेगा, यदि उसे यह ज्ञात होता है कि ऐसे विचारण, सुनवाई या कार्यवाही से दस दिवस पूर्व उपर्युक्त सूचना पक्षकार को दिया जाना सम्भव नहीं था और ऐसी सूचना को प्राप्त करने में विलम्ब से उस पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "तार संसूचना" से बिन्दु और कनेक्शन बिन्दु के बीच, उदगम बिन्दु और रिसेप्शन बिन्दु (ऐसे स्वीचिंग स्टेशन कनेक्शन के उपयोग को सम्मिलित करते हुए) के बीच तार, केबल या ऐसे ही किसी अन्य प्रकार के कनेक्शन की सहायता से संसूचना के पारेषण के लिए सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से पूर्णतः या भागतः किया गया कोई कर्णगत अन्तरण अभिप्रेत है और ऐसे पद में ऐसी संसूचना का कोई इलेक्ट्रानिक भंडारण सम्मिलित है;
- (ख) "मौखिक संसूचना" से किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रत्याशा में बोली गयी कोई भी मौखिक संसूचना अभिप्रेत है और ऐसी संसूचना, ऐसे अपवाद को न्यायोचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अधीन अन्तररोध के अध्यक्षीन नहीं है,

किन्तु ऐसे पद में कोई इलेक्ट्रानिक संसूचना सम्मिलित नहीं है;

(ग) "इलेक्ट्रानिक संसूचना" से किसी तार, रेडियो, इलेक्ट्रामैग्नेटिक, फोटो-इलेक्ट्रानिक या फोटो प्रकाशीय प्रणाली, जो अन्तर्देशीय या वैदेशिक वाणिज्य को प्रभावित करती है, द्वारा पूर्णतः या भागतः पारेषित किसी भी स्वरूप के संकेत, सिग्नल, लेख, छवि, ध्वनि, डाटा या आसूचना का कोई भी अन्तरण अभिप्रेत है किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं-

(i) किसी बेतार टेलिफोन संसूचना का रेडियो भाग जो बेतार टेलिफोन हैंडसेट और बेस यूनिट के बीच पारेषित होता है;

(ii) कोई तार या मौखिक संसूचना;

(iii) केवल पेजिंग युक्ति टोन के माध्यम से की गयी कोई संसूचना; या

(iv) ट्रैकिंग युक्ति से कोई संसूचना;

(घ) "अन्तररोध" से किसी इलेक्ट्रानिक, यान्त्रिक या अन्य युक्ति के उपयोग के माध्यम से तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना द्वारा अन्तर्वस्तुओं का कर्णगत या अन्य अर्जन अभिप्रेत है।

15. प्राधिकार आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन:- (1) धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति होगी।

(2) पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- | | |
|---|-----------|
| (i) मुख्य सचिव | अध्यक्ष; |
| (ii) प्रभारी शासन सचिव, गृह विभाग | सदस्य; और |
| (iii) प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग सह-विधि परामर्शी, | सदस्य। |

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए “प्रभारी शासन सचिव” से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(3) पुनर्विलोकन समिति के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 14 के अधीन पारित प्रत्येक आदेश पर, इसकी प्राप्ति के पश्चात् दस दिवस के भीतर-भीतर, पुनर्विलोकन समिति द्वारा यह विनिश्चय करने के लिए विचार किया जायेगा कि क्या आपात स्थिति में उस धारा की उप-धारा (10) के अधीन किये गये अन्तररोधन के लिए या अन्तररोधन के अननुमोदन के लिए, धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन को प्राधिकृत या अनुमोदित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश आवश्यक, युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(4) पुनर्विलोकन समिति, सम्पूर्ण अभिलेख की परीक्षा और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जो आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित कर सकेगी या उसे अननुमोदित करने के आदेश जारी कर सकेगी। पुनर्विलोकन समिति द्वारा अननुमोदन के किसी आदेश के जारी किये जाने पर, पहले से लागू अन्तररोधन, यदि कोई हो, तत्काल रोक दिया जायेगा। उसके बाद टैप, तार या अन्य युक्ति के रूप में अन्तररोधित संसूचना, यदि कोई हो, किसी भी दशा में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी और उसे नष्ट किये जाने के लिए निदिष्ट किया जायेगा।

16. प्रतिषिद्ध तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अन्तररोधन और प्रकटीकरण.- धारा 14 में अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी, जो-

- (क) किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का साशय अन्तररोधन करता है या अन्तररोधन करने का प्रयास करता है या अन्तररोधन करने या अन्तररोधन का प्रयास करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करता है;

- (ख) किसी मौखिक संसूचना का अन्तररोधन करने के लिए किसी इलेक्ट्रानिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति का साशय उपयोग करता है, उपयोग करने का प्रयास करता है, या उपयोग करने या उपयोग का प्रयास करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपाप्त करता है, जब-
- (i) ऐसी युक्ति किसी तार, केबल या तार संसूचना में प्रयुक्त उसी प्रकार के अन्य कनेक्शन के माध्यम से जुड़ी हुई है या अन्यथा सिग्नल पारेषित करती है; या
 - (ii) ऐसी युक्ति रेडियो द्वारा संसूचना पारेषित करती है या ऐसी संसूचना के पारेषण में बाधा डालती है;
- (ग) किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति को, साशय प्रकट करता है या प्रकट करने का प्रयास करता है या यह जानते हुए या यह जानने का कारण रखते हुए कि किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन के माध्यम से अभिप्राप्त की गयी सूचना इस उप-धारा का अतिक्रमण है;
- (घ) किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तुओं का, यह जानते हुए या यह जानने का कारण रखते हुए कि किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन के माध्यम से अभिप्राप्त की गयी सूचना इस उप-धारा का अतिक्रमण है साशय उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है; या
- (ङ) (i) धारा 14 द्वारा प्राधिकृत किसी साधन द्वारा अन्तररोधित किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अन्तर्वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति को साशय प्रकट करता है, या प्रकट करने का प्रयास करता है;
- (ii) यह जानते हुए या जानने का कारण रखते हुए कि सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में ऐसी किसी संसूचना के अन्तररोधन के माध्यम से अभिप्राप्त की गयी थी;

- (iii) किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में सूचना अभिप्राप्त या प्राप्त करता है; और
- (iv) किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत आपराधिक अन्वेषण में अनुचित रूप से बाधा डालने, अड़चन डालने, या हस्तक्षेप करने का आशय रखता है; या
- (च) धारा 15 की उप-धारा (4) के अधीन, पुनर्विलोकन समिति द्वारा अननुमोदन के किसी आदेश के जारी किये जाने के पश्चात्, तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अन्तररोधन को साशय जारी रखता है,

तो ऐसे अतिक्रमण के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और पचास हजार रूपए तक के जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

17. साक्ष्य के विशेष नियम.- (1) संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या संसक्त अपराधों के विचारण और दण्ड के प्रयोजनों के लिए न्यायालय इस तथ्य को साक्ष्यस्वरूप विचार में ले सकेगा कि अभियुक्त,-

- (क) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा 107 या धारा 110 के अधीन आबद्ध था;
- (ख) निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरुद्ध था; या
- (ग) किसी पूर्व अवसर पर इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में अभियोजित किया गया था।

(2) जहां यह साबित कर दिया जाता है कि किसी संगठित अपराध में लिप्त किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति है या किसी भी समय रही है जिसका वह समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सकता है, वहां विशेष न्यायालय, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह

उपधारणा करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या धन-संबंधी संसाधन उसके अवैध क्रियाकलापों द्वारा अर्जित या व्युत्पन्न किये गये हैं।

(3) जहां यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह फिरौती के लिए था।

18. किसी पुलिस अधिकारी को की गयी कतिपय संस्वीकृतियों को विचार में लिया जाना.- (1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) में किसी बात के होने पर भी, किन्तु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, के समक्ष की गयी संस्वीकृति और जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा या तो लिखित में या किसी भी यान्त्रिक युक्ति जैसे कैसेट, टेप या ध्वनि ट्रैक पर, जिससे ध्वनियां या आकृतियां पुनः प्रस्तुत की जा सकती हों, अभिलिखित की गयी, ऐसे व्यक्ति, सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकारी के विचारण में ग्राह्य होगी:

परन्तु यह तब जब कि सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकारी को अभियुक्त के साथ उसी मामले में आरोपित और विचारित किया जाता है।

(2) संस्वीकृति, मुक्त वातावरण में उसी भाषा में अभिलिखित की जायेगी, जिसमें व्यक्ति की परीक्षा की जाती है और जो उसके द्वारा बयान की गयी है।

(3) पुलिस अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन कोई भी संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व, उसे करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करेगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और कि यदि वह ऐसा करता है तो, उसे उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी किसी भी संस्वीकृति को तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। संबंधित पुलिस अधिकारी, ऐसी स्वैच्छिक संस्वीकृति अभिलिखित करने के पश्चात्, संस्वीकृति के नीचे उसकी तारीख और

समय अंकित करते हुए, ऐसी संस्वीकृति की स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में अपने वैयक्तिक समाधान के बारे में लिखित में प्रमाणित करेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति ऐसे क्षेत्र, जिसमें ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित की गयी है, पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तुरंत भेजी जायेगी और ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्राप्त अभिलिखित संस्वीकृति को उस विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

(5) ऐसे व्यक्ति को भी जिसकी उप-धारा (1) के अधीन संस्वीकृति अभिलिखित की गयी है, ऐसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के जिसको लिखित या यांत्रिक युक्ति पर अभिलिखित संस्वीकृति के मूल कथन के साथ उप-धारा (4) के अधीन संस्वीकृति भेजी जानी अपेक्षित है, के समक्ष अनुचित विलम्ब के बिना पेश किया जायेगा।

(6) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इस प्रकार पेश किये गये अभियुक्त का कथन, यदि कोई हो, निष्ठा से अभिलिखित करेगा और उसके हस्ताक्षर लेगा और यातना की किसी शिकायत के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी चिकित्सा अधिकारी जो सहायक सिविल सर्जन की रैंक से नीचे का न हो, के समक्ष चिकित्सीय परीक्षा के लिए पेश किये जाने का निदेश दिया जायेगा।

19. साक्षी का संरक्षण.- (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियां, बंद कमरे में की जा सकेंगी, यदि विशेष न्यायालय ऐसा चाहे।

(2) विशेष न्यायालय, उसके समक्ष की किसी भी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, किसी भी साक्षी की पहचान और पता गुप्त रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(3) विशिष्टतया, और उप-धारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपाय, जो कोई विशेष न्यायालय उस उप-धारा के अधीन कर सकेगा, के अन्तर्गत निम्नलिखित हो सकेगा,-

- (क) कार्यवाहियों का ऐसे स्थान पर किया जाना जो विशेष न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाये;
- (ख) अपने आदेशों या निर्णयों में या जनता की पहुंच वाले मामले के किन्हीं भी अभिलेखों में साक्षियों के नामों और पतों का उल्लेख करने से बचना;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी निदेश जारी करना कि साक्षियों की पहचान और पते प्रकट नहीं किये जायें;
- (घ) यह कि ऐसा आदेश करना लोकहित में है कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लम्बित समस्त या कोई भी कार्यवाहियां किसी भी रीति से प्रकाशित नहीं की जायेंगी।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (3) के अधीन जारी किये गये किसी भी निदेश का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

20. सम्पत्ति का समपहरण और कुर्की.- (1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, वहां विशेष न्यायालय, कोई भी दण्ड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि अभियुक्त की और आदेश में विनिर्दिष्ट कोई भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति या दोनों सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अभियुक्त हो, तो उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय यह आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी समस्त या कोई भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति या दोनों ऐसे विचारण की

कालावधि के दौरान कुर्क कर ली जायें, और जहां ऐसे विचारण में दोषसिद्धि होती है वहां इस प्रकार कुर्क सम्पत्तियां सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में राज्य सरकार को समपहत हो जायेंगी।

(3) (क) यदि, धारा 14 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण अधिकारी के अनुमोदन से अन्वेषक पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में की गयी रिपोर्ट पर, किसी विशेष न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है जिससे कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सके तो ऐसा न्यायालय, संहिता की धारा 82 में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, एक लिखित उद्घोषणा उससे यह अपेक्षा करते हुए प्रकाशित कर सकेगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट स्थान और ऐसे विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित हो जो ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन से पंद्रह दिवस से कम का नहीं हो किन्तु तीस दिवस से अधिक का नहीं हो:

परन्तु यदि संबंधित अन्वेषक पुलिस अधिकारी ऐसे अभियुक्त को, जो फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर गिरफ्तार करने में विफल रहता है तो ऐसा अधिकारी उक्त कालावधि की समाप्ति पर, विशेष न्यायालय को उद्घोषणा जारी किये जाने के लिए रिपोर्ट करेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला विशेष न्यायालय, किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति या दोनों की कुर्की का आदेश कर सकेगा और तब संहिता की धारा 83 से 85 तक के उपबंध ऐसी कुर्की पर इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी कुर्की संहिता के अधीन की गयी थी।

(ग) यदि, कुर्की की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति संहिता की धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है, स्वेच्छा से उपस्थित होता है या गिरफ्तार किया जाता है, और ऐसे विशेष न्यायालय, जिसके आदेश से सम्पत्ति कुर्क की गयी थी, या ऐसे न्यायालय के

समक्ष लाया जाता है जिसका ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है और ऐसे न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह फरार नहीं हुआ था या गिरफ्तारी से बचने के प्रयोजन के लिए अपने को छिपाया नहीं था और कि उसे उद्घोषणा का ऐसा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर उपस्थित होने में समर्थ होता तो ऐसी सम्पत्ति या यदि उसका विक्रय कर दिया गया है तो, उसके शुद्ध आगम और सम्पत्ति का शेष भाग, कुर्की के परिणामस्वरूप उपगत समस्त खर्चों को चुकाये जाने के पश्चात्, उसे परिदत्त कर दिया जायेगा।

21. संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना.-

(1) संहिता में या किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संहिता की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायेगा और उस खण्ड में यथा-परिभाषित "संज्ञेय मामला" का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से अन्तर्वलित मामले के संबंध में संहिता की धारा 167 इन उपांतरणों के अध्याधीन लागू होगी कि उप-धारा (2) में,-

(क) जहां कहीं भी "पन्द्रह दिवस" और "साठ दिवस" के प्रति निर्देश आये हों; उसका अर्थान्वयन क्रमशः "तीस दिवस" और नब्बे दिवस" के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा;

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि यदि अन्वेषण नब्बे दिवस की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर पूरा किया जाना संभव नहीं हो तो विशेष न्यायालय उक्त कालावधि को, अन्वेषण की प्रगति और नब्बे दिवस की उक्त कालावधि से आगे के लिए अभियुक्त के निरोध के लिए विनिर्दिष्ट

कारण उपदर्शित करने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर, एक सौ अस्सी दिवस तक बढ़ा सकेगा।"

(3) संहिता की धारा 438 की कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने के अभियोग पर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से अंतर्वलित किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी।

(4) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का कोई भी अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है तो, जमानत या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि-

(क) इस प्रकार छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने के लिए लोक अभियोजक को अवसर नहीं दे दिया गया है; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और कि उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई भी अपराध किये जाने की संभावना नहीं है।

(5) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, अभियुक्त की जमानत मंजूर नहीं की जायेगी यदि न्यायालय के यह ध्यान में आता है कि वह प्रश्नगत अपराध की तारीख को इस अधिनियम के अधीन, या किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध में जमानत पर था।

(6) उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने की परिसीमाएं, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने के संबंध में परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।

(7) अभ्यारोपण-पूर्व या विचारण-पूर्व परिप्रश्न के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यायिक अभिरक्षा से अभिरक्षा चाहने वाला पुलिस अधिकारी, ऐसी अभिरक्षा चाहने के कारणों का, और पुलिस अभिरक्षा चाहने में विलम्ब, यदि कोई हो, के कारणों का भी स्पष्टीकरण देते हुए लिखित कथन फाइल करेगा।

22. धारा 3 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा.- (1) धारा 3 के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के अपराध के अभियोजन में यदि यह साबित कर दिया जाता है-

(क) कि अभियुक्त के कब्जे से विधिविरुद्ध आयुध और, दस्तावेजों या कागजों सहित, अन्य सामग्री बरामद की गयी थी और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे विधिविरुद्ध आयुध और, दस्तावेजों या कागजों सहित, अन्य सामग्री का उपयोग ऐसे अपराध के किये जाने में किया गया था; या

(ख) कि विशेषज्ञ के साक्ष्य से, अभियुक्त की अंगुली छापें अपराध स्थल पर या ऐसी किसी चीज पर पायी गयी थी जिसके अन्तर्गत विधि-विरुद्ध आयुध और, दस्तावेजों या कागजों सहित, अन्य सामग्री और ऐसे अपराध के किये जाने के संबंध में प्रयुक्त यान है,

जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये, विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया था।

(2) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने ऐसे किसी व्यक्ति को कोई भी वित्तीय सहायता दी है जो संगठित अपराध के किसी अपराध का अभियुक्त है या जिस पर अभियुक्त होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है, तो जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उप-धारा (2) के अधीन अपराध किया है।

23. किसी अपराध का संज्ञान और उसका अन्वेषण.- (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,-

(क) इस अधिनियम के अधीन संगठित अपराध के अपराध के किये जाने के बारे में कोई भी जानकारी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप-महानिरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, के पूर्व अनुमोदन के बिना अभिलिखित नहीं की जायेगी;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, द्वारा नहीं किया जायेगा।

(2) कोई भी विशेष न्यायालय, ऐसे पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अपर महानिदेशक से नीचे की रैंक का न हो, की पूर्व मंजूरी के बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

24. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने वाले लोक सेवकों के लिए दण्ड.- जो कोई भी, लोक सेवक होते हुए धारा 2 के खण्ड (ड) में यथा परिभाषित संगठित अपराध के किये जाने में किसी भी रीति से, चाहे संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य द्वारा किसी भी अपराध के किये जाने के पूर्व या पश्चात् कोई भी सहायता या समर्थन करता है या इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण अध्युपाय करने से प्रविरत रहता है या इस संबंध में किसी भी न्यायालय के या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निदेशों का पालन करने से साशय बचता है वह ऐसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डित किया जायेगा।

25. अध्यारोही प्रभाव.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी भी नियम या ऐसे किसी भी नियम के अधीन किये गये किसी भी आदेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली किसी भी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी भी बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

26. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी भी नियम या ऐसे किसी भी नियम के अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

27. अन्तररोधनों की वार्षिक रिपोर्ट.- (1) राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवायेगी, जिसमें निम्नलिखित का पूरा विवरण होगा:-

- (i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तररोधनों का प्राधिकार देने के लिए पुलिस विभाग से प्राप्त आवेदनों की संख्या, जिनमें अभियोजन संस्थित किया गया है;
- (ii) अनुज्ञात या नामंजूर किये गये ऐसे आवेदनों की संख्या ;
- (iii) आपात स्थितियों में किये गये अन्तररोधनों की संख्या और भूतलक्षी प्रभाव से प्राधिकारों या अनुमोदनों की संख्या, जो ऐसे मामलों में मंजूर या नामंजूर किये गये;
- (iv) प्राधिकृत अन्तररोधनों की उपयोगिता और महत्व का साधारण निर्धारण देते हुए स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, ऐसे अन्तररोधनों के आधार पर संस्थित किये गये अभियोजनों और ऐसे अन्तररोधनों के परिणामस्वरूप हुई दोषसिद्धियों की संख्या।

(2) ऐसी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर-भीतर राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी:

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि वार्षिक रिपोर्ट में किसी भी विषय के सम्मिलित किये जाने से राज्य की सुरक्षा या किसी भी संगठित अपराध का निवारण करने या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो राज्य सरकार ऐसे विषय को ऐसी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने से अपवर्जित कर सकेगी।

28. उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति.- उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगा जो वह विशेष न्यायालयों के संबंध में, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

29. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) धारा 28 के अधीन उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्तियों पर प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिवस की कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् उक्त नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे, या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान में अपराध की प्रवृत्तियों के अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कि पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। पूर्व में व्यक्तियों द्वारा अकेले अथवा समूह में जघन्य अपराध जैसे हत्या, डकैती, लूट, व्यपहरण और उद्दापन कारित किये जाते थे, किन्तु पिछले दशक में राजस्थान में संगठित अपराध में वृद्धि देखी गई है। नई उम्र के अपराधियों के गिरोहों द्वारा आपराधिक जीवन का सुसंगठित आपराधिक उद्यम के रूप में अनुसरण किया जा रहा है।

ऐसे उदाहरण ध्यान में आये हैं कि राजस्थान के कतिपय जिलों में सक्रिय, संगठित आपराधिक गिरोहों ने अपराधियों का शूटर, मुखबिर, गुप्त सूचना देने वाले और हथियार आपूर्तिकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए सुसंगठित नेटवर्क स्थापित कर लिया है। अच्छी तरह से परिभाषित सदस्यता और पदानुक्रम के साथ पूर्णरूप से संगठित ये गिरोह मुख्य रूप से अनुबंध आधारित हत्याएं करने, व्यवसायियों को धमकी देकर उद्दापन करने, मादक पदार्थों की तस्करी करने, सुरक्षा रैकेट्स आदि पर फोकस कर रहे हैं, जिनमें भारी लाभ कमाने की संभावना होती है। ये गिरोह अपराध के आगमों का, उपयोग बड़ी मात्रा में सम्पत्ति का संग्रह करने के लिए, जेल में के अपने सहयोगियों की देखभाल करने, आपराधिक मुकदमे लड़ने वाले महंगे वकीलों की सेवाएं लेने और गवाहों को मारने में करते हैं, जो उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करते हैं।

इस तरह के अपराधी आपराधिक कानून और प्रक्रिया के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं का भी फायदा उठाते हैं और आगे अपराध करने के लिए अभिरक्षा से रिहा हो जाते हैं। कुछ समय में ही ये गिरोह जनता में अपनी एक ऐसी डरावनी छवि बना लेते हैं, जो वास्तविकता से परे है। इस तरह की छवि व्यापारियों और उद्योगपतियों को संरक्षण देने के बदले धन उद्दापित करने में इन गिरोहों की मदद करती है, इस प्रकार यह उनके खजानों को और समृद्ध करती है।

नीति निर्माताओं और आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञों के मध्य यह सहमति बनी है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में

पहले से ही विशेष विधान अधिनियमित किये गये हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 30) अधिनियमित किया था, जिसे तत्पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भी अपनाया गया।

राजस्थान राज्य में संगठित अपराध की उभरती स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, यह अनिवार्य हो गया है कि राज्य में भी इसी प्रकार का विधान पुरःस्थापित किया जाये जो संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता हो। ऐसा कठोर विधान अपराधियों के विरुद्ध कठोर और निवारक किन्तु विधिपूर्ण कार्रवाई करने के लिए, विधिपूर्ण रीति से पुलिस को भी यथोचित रूप से सशक्त बनायेगा। ऐसे अपराधों के आगमों से अर्जित संपत्ति का समपहरण करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण का प्रबंध करने के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की व्यवस्था करने के लिए विशेष उपबंधों को भी अधिनियमित किये जाने की आवश्यकता है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(17) विधि/2/2023 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 2023

प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वित्तीय ज्ञापन

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 के खण्ड 5 और 8, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य की संचित निधि में से व्यय अंतर्वलित होगा।

विशेष न्यायालयों की स्थापना और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए उपगत किये जाने वाले अनावर्ती और आवर्ती व्यय की गणना कर ली गयी है।

एक विशेष न्यायालय की स्थापना और इस प्रकार एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए, भवन के संनिर्माण और आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए लगभग 3.32 करोड़ रुपये के अनावर्ती व्यय की आवश्यकता होगी और आवर्ती व्यय के लिए लगभग 1.14 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी, जिसमें समय के साथ वृद्धि हो सकती है। इस व्यय के लिए, बजट 2023-24 में समुचित उपबंध प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक का खंड 28, यदि अधिनियमित किया जाता है तो उच्च न्यायालय को, विशेष न्यायालयों के संबंध में, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खंड 29, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

**THE RAJASHTAN CONTROL OF ORGANIZED CRIME
BILL, 2023**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to make special provisions for prevention and control of, and for coping with, criminal activity by organized crime syndicate or gang, and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Control of Organized Crime Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.-(1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “abet” with its grammatical variations and cognate expressions, includes,-

(i) the communication or association with any person with the actual knowledge or having reason to believe that such person is engaged in assisting in any manner, an organized crime syndicate;

- (ii) the passing on or publication of, without any lawful authority, any information likely to assist the organized crime syndicate and the passing on or publication of or distribution of any document or matter obtained from the organized crime syndicate; and
 - (iii) the rendering of any assistance, whether financial or otherwise to the organized crime syndicate;
- (b) “Code” means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);
 - (c) “Competent Authority” means the Competent Authority appointed under section 13;
 - (d) “continuing unlawful activity” means an activity prohibited by law for the time being in force, which is a cognizable offence punishable with imprisonment of three years or more, undertaken either singly or jointly, as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed before a competent Court within the preceding period of ten years and that Court has taken cognizance of such offence;
 - (e) “organized crime” means any continuing unlawful activity by an individual, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits, or gaining undue economic or other advantage for himself or any other person or promoting insurgency;

- (f) “organized crime syndicate” means a group of two or more persons, who acting either singly or collectively, as a syndicate or gang, indulge in activities of organized crime;
- (g) “Special Court” means the Special Court constituted under section 5.
- (h) “State Government” means the Government of the State of Rajasthan in the administrative department;

(2) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

3. Punishment for organized crime.- (1) Whoever commits an offence of organized crime shall,-

- (i) if such offence has resulted in the death of any person, be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees one lac;
- (ii) in any other case, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lac.

(2) Whoever conspires or attempts to commit or favours, abets or knowingly facilitates the commission of an organized crime or any act preparatory to organized crime shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lac.

(3) Whoever harbours or conceals or attempts to harbour or conceal, any member of any organized crime syndicate shall be

punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lac.

(4) Any person who is a member of an organized crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lac.

(5) Whoever holds any property derived or obtained from commission of an organized crime or which has been acquired through the organized crime syndicate funds shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees two lac.

4. Punishment for possessing unaccountable wealth on behalf of member of organized crime syndicate.- If any person on behalf of a member of an organized crime syndicate is, or, at any time has been, in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine, subject to a minimum fine of rupees one lac and such property shall also be liable for attachment and forfeiture, as provided by section 20.

5. Special Courts.- (1) *The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Special Courts for such area or areas, or for such case or group of cases or class, as may be specified in the notification.*

(2) *Where any question arises as to the jurisdiction of any Special Court, it shall be referred to the State Government, whose decision shall be final.*

(3) The Special Court shall be presided over by a judge to be appointed by the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Rajasthan High Court. The State Government may also appoint, with the concurrence of the Chief Justice of the Rajasthan High Court, additional judges to exercise jurisdiction in a Special Court.

(4) A person shall not be qualified for appointment as a judge or an additional judge of a Special Court, unless he immediately before such appointment is a sessions judge or an additional sessions judge.

(5) Where any additional judge is or additional judges are appointed in a Special Court, the judge of the Special Court may, from time to time, by general or special order in writing, provide for the distribution of the business of the Special Court among himself and the additional judge or additional judges and also for the disposal of urgent business in the event of his absence or the absence of any additional judge.

6. Jurisdiction of Special Court.- Notwithstanding anything contained in the Code, every offence punishable under this Act shall be triable only by the Special Court within whose local jurisdiction it was committed, or as the case may be, by the Special Court constituted for trying such offence under sub-section (1) of section 5.

7. Powers of Special Court with respect to other offences.- (1) When trying any offence punishable under this Act, the Special Court may also try any other offence with which the accused may, under the Code be charged at the same trial, if the offence is connected with such other offence.

(2) If, in the course of any trial of any offence under this Act, it is found that the accused person has committed any other offence under this Act or under any other law, the Special Court may convict such person of such other offence and may pass any

sentence authorized by this Act or, as the case may be, such other law, for the punishment thereof.

8. Public Prosecutor.- (1) *For every Special Court, the State Government shall appoint a person to be the Public Prosecutor and may appoint one or more persons to be the Additional Public Prosecutor or Additional Public Prosecutors:*

Provided that the State Government may also appoint for any case or group of cases, a Special Public Prosecutor.

(2) *A person shall not be qualified to be appointed as a Public Prosecutor, an Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor unless he has been in practice as an Advocate for not less than ten years.*

(3) *Every person appointed as a Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor or Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of section 2 of the Code, and the provisions of the Code shall have effect accordingly.*

9. Procedure and powers of Special Court.- (1) A Special Court may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of facts which constitute such offence or upon a police report of such facts.

(2) Where an offence triable by a Special Court is punishable with imprisonment for a term not exceeding three years or with fine or with both, the Special Court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 260 or section 262 of the Code, try the offence in a summary way in accordance with the procedure prescribed in the Code and the provisions of sections 263 to 265 of the Code shall, as far as may be, apply to such trial:

Provided that where in the course of a summary trial under this sub-section, it appears to the Special Court that the nature of the case is such that it is undesirable to try in a summary way, the Special Court shall recall any witnesses who may have been

examined and proceed to re-hear the case in the manner provided by the provisions of the Code for the trial of such offence and the said provisions shall apply to and in relation, to a Special Court as they apply to and in relation, to a Magistrate :

Provided further that in case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for a Special Court to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding two years.

(3) A Special Court may, with a view to obtaining the evidence of any person, supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof, and any pardon so tendered shall, for the purposes of section 308 of the Code, be deemed to have been tendered under section 307 thereof.

(4) Subject to other provisions of this Act, a Special Court shall, for the purpose of trial of any offence, have all the powers of a Court of Session and shall try such offence as if it were a Court of Session, so far as may be, in accordance with the procedure prescribed in the Code for the trial before a Court of Session.

10. Trial by Special Courts to have precedence.- The trial of any offence under this Act by a Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference of the trial of such other case and accordingly the trial of such other case shall remain in abeyance.

11. Power to transfer cases to regular Courts.- Where, after taking cognizance of an offence, a Special Court is of the opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for trial of such offence to any Court having jurisdiction under the

Code and the Court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it had taken cognizance of the offence.

12. Appeal.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code, an appeal shall lie from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order of the Special Court to the High Court.

(2) Every appeal under this section shall be preferred within thirty days from the date of the judgment, sentence or order.

13. Appointment of Competent Authority.- The State Government may appoint any of its officers, in Home Department, not below the rank of Secretary to Government, to be the Competent Authority for the purposes of section 14.

14. Authorization of interception of wire, electronic or oral communication.- (1) A police officer not below the rank of Superintendent of Police supervising the investigation of an organized crime under this Act may submit an application in writing to the Competent Authority for an order authorizing or approving the interception of wire, electronic or oral communication by the investigating officer when such interception may provide or has provided evidence of any offence involving an organized crime.

(2) Each application shall include the following information:-

- (a) the identity of the investigative or law enforcement officer making the application, and the head of the department authorizing the application;
- (b) a statement of the facts and circumstances relied upon by the applicant, to justify his belief that an order should be issued, including-
 - (i) details as to the offence of organized crime that has been, is being, or is about to be committed;

- (ii) a particular description of the nature and location of the facilities from which or the place where the communication is to be intercepted;
 - (iii) a particular description of the type of communications sought to be intercepted; and
 - (iv) the identity of the person, if known, committing the offence of organized crime whose communications are to be intercepted;
- (c) a statement as to whether or not other modes of enquiry of intelligence gathering have been tried and failed or why they reasonably appear to be unlikely to succeed if tried or to be too dangerous or is likely to expose the identity of those connected with the operation of interception;
- (d) a statement of the period of time for which the interception is required to be maintained. If the nature of the enquiry is such that the authorization for interception should not automatically terminate when the described type of communication has been first obtained, a particular description of facts establishing probable cause to believe that additional communications of the same type will occur thereafter;
- (e) a statement of the facts concerning all previous applications known to the individual authorizing and making the application, made to the Competent Authority for authorization to intercept, or for approval of interceptions of, wire, electronic or oral communications involving any of the same persons, facilities or places specified in the

application and the action taken by the Competent Authority on each such application; and

- (f) where the application is for the extension of an order, a statement setting forth the results thus far obtained from the interception, or a reasonable explanation of the failure to obtain such results.

(3) The Competent Authority may require the applicant to furnish additional oral or documentary evidence in support of the application.

(4) Upon such application, the Competent Authority may after recording the reasons in writing reject the application, or issue an order, as requested or as modified, authorizing or approving interception of wire, electronic or oral communications, if the Competent Authority determines on the basis of the facts submitted by the applicant that-

- (a) there is a probable cause for belief that an individual is committing, has committed, or is about to commit a particular offence described and made punishable under sections 3 and 4 of this Act;
- (b) there is a probable cause for belief that particular communications concerning that offence will be obtained through such interception;
- (c) normal modes of enquiry of intelligence gathering have been tried and have failed or reasonably appear to be unlikely to succeed if tried or to be too dangerous or is likely to expose the identity of those connected with the operation of interception;
- (d) there is probable cause for belief that the facilities from which, or the place where, the wire, electronic or oral communications are to be intercepted or be used or are about to be used, in connection with the

commission of such offence, leased to, or are listed in the name of or commonly used by such person.

(5) Each order by the Competent Authority authorizing or approving the interception of any wire, electronic or oral communication under this section shall specify-

- (a) the identity of the person, if known, whose communications are to be intercepted;
- (b) the nature and location of the communication facilities as to which, or the place where, authority to intercept is granted;
- (c) a particular description of the type of communication sought to be intercepted, and a statement of the particular offence to which it relates;
- (d) the identity of the agency authorized to intercept the communications, and of the person authorizing the application; and
- (e) the period of time during which such interception is authorized, including a statement as to whether or not the interception shall automatically terminate when the described communication has been first obtained.

(6) The Competent Authority shall immediately after passing the order under sub-section (4), but in any case not later than seven days from the passing of the order, submit a copy of the same to the Review Committee constituted under section 15 along with all the relevant underlying papers, record and his own findings, etc., in respect of the said order, for consideration and approval of the order by the Review Committee.

(7) An order authorizing the interception of a wire, electronic or oral communication under this section shall, upon request of the applicant, direct that a provider of wire or electronic

communication service, landlord, custodian or other person shall furnish to the applicant forthwith all information, facilities, and technical assistance necessary to accomplish the interception unobtrusively and with a minimum of interference with the services that such service provider, landlord, custodian, or person is providing to the person whose communications are to be intercepted.

(8) No order issued under this section may authorize or approve the interception of any wire, electronic or oral communication for any period longer than is necessary to achieve the objective of the authorization, nor in any event longer than sixty days. Such sixty days period shall begin on the day immediately preceding the day on which the investigative or law enforcement officer first begins to conduct an interception under the order or ten days after the order is issued, whichever is earlier. Extension of an order may be granted, but only upon an application for an extension is made in accordance with sub-section (1) and the Competent Authority making the findings required by sub-section (4). The period of extension shall be no longer than the Competent Authority deems necessary to achieve the purposes for which it was granted and in no event for longer than sixty days at a time. Every order and extension thereof shall contain a provision that the authorization to intercept shall be executed as soon as practicable and shall be conducted in such a way or manner as to minimize the interception of communications not otherwise subject to interception under this section and must terminate upon attainment of the authorized objective, or in any event on expiry of the period of order. In the event the intercepted communication is in a code or foreign language, and an expert in that foreign language or code is not reasonably available during the interception period, minimization may be accomplished as soon as practicable after such interception. An interception under this section may be conducted in whole or in part by public servant, or by an individual operating under a contract with the State Government, acting under

the supervision of the investigative or law enforcement officer authorized to conduct the interception.

(9) Whenever an order authorizing interception is issued pursuant to this section, the order may require reports to be made to the Competent Authority who issued the order showing that progress has been made towards achievement of the authorized objective and the need for continued interception. Such reports shall be made at such intervals as the Competent Authority may require.

(10) Notwithstanding anything contained in any other provision of this section, an officer not below the rank of Additional Director General of Police who reasonably determines that-

- (a) an emergency situation exists that involves-
 - (i) immediate danger of death or serious physical injury to any person;
 - (ii) conspiratorial activities threatening the security or interest of the State; or
 - (iii) conspiratorial activities, characteristic of organized crime, that requires a wire, electronic or oral communication to be intercepted before an order from the Competent Authority authorizing such interception can, with due diligence, be obtained, and
- (b) there are grounds upon which an order could be issued under this section to authorize such interception, may authorize, in writing, the investigating Police Officer to intercept such wire, electronic or oral communication, if an application for an order approving the interception is made in accordance with the provisions of sub-sections (1)

and (2) within forty-eight hours after the interception has occurred, or begins to occur.

(11) In the absence of an order approving the interception made under sub-section (10), such interception shall immediately terminate when the communication sought is obtained or when the application for the order is rejected, whichever is earlier. In the event where an application for permitting interception is rejected under sub-section (4) or an application under sub-section (10) for approval is rejected, or in any other case where the interception is terminated without an order having been issued, the contents of any wire, electronic or oral communication intercepted shall be treated as having been obtained in violation of this section.

(12) (a) The contents of any wire, electronic or oral communication intercepted by any means authorized by this section shall, if possible, be recorded on tape or wire or other comparable device. Recording of the contents of any wire, electronic or oral communication under this sub-section shall be done in such a way as will protect the recording from editing or other alterations. Immediately upon the expiration of the period of order, or extension thereof, such recordings shall be made available to the Competent Authority issuing such order and shall be sealed under his directions. Custody of the recordings shall be wherever the Competent Authority orders. They shall not be destroyed except upon an order of the Competent Authority and in any event shall be kept for ten years.

(b) Applications made and orders issued under this section shall be sealed by the Competent Authority. Custody of the applications and orders shall be wherever the Competent Authority directs, and shall not be destroyed except on an order of the Competent Authority, and in any event shall be kept for ten years.

(c) The Competent Authority upon the filing of a motion, may in his discretion make available to such person or his counsel for inspection such portions of the intercepted communications,

applications and orders as the Competent Authority determines to be in the interest of justice.

(13) Notwithstanding anything in the Code or in any other law for the time being in force, the evidence collected through the interception of wire, electronic or oral communication under this section shall be admissible as evidence against the accused in the Court during the trial of a case:

Provided that the contents of any wire, electronic or oral communication intercepted pursuant to this section or evidence derived there from shall not be received in evidence or otherwise disclosed in any trial, hearing or other proceeding in any Court unless each party, not less than ten days before trial, hearing or proceeding, has been furnished with a copy of the order of the Competent Authority, and accompanying application, under which the interception was authorized or approved:

Provided further that this ten days period may be waived by the judge, trying the matter, if he finds that it was not possible to furnish the party with the above information ten days before the trial, hearing or proceeding and that the party will not be prejudiced by the delay in receiving such information.

Explanation.- For the purposes of this section-

(a) 'wire communication' means any aural transfer made in whole or part through the use of facilities for the transmission of communications by the aid of wire, cable or other like connection between the point of origin and the point of connection, between the point of origin and point of reception (including the use of such connection switching station) and such term includes any electronic storage of such communication;

(b) 'oral communication' means any oral communication uttered by a person exhibiting an expectation that such communication is not subject to interception under circumstances

justifying such expectation but such term does not include any electronic communication;

(c) 'electronic communication' means any transfer of signs, signals, writings, images, sounds, data or intelligence of any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, photo electronic or photo optical system that affects inland or foreign commerce but does not include,-

- (i) the radio portion of a cordless telephone communication that is transmitted between the wireless telephone hand-set and the base unit;
- (ii) any wire or oral communication;
- (iii) any communication made through a tone only paging device; or
- (iv) any communication from a tracking device;

(d) 'intercept' means the aural or other acquisition of the contents by wire, electronic or oral communication through the use of any electronic, mechanical or other device.

15. Constitution of Review Committee for review of authorization orders.- (1) There shall be a Review Committee to review every order passed by the Competent Authority under section 14.

(2) The Review Committee shall consist of the following *ex-officio* members, namely:-

- (i) the Chief Secretary to the Government Chairman;
- (ii) the Secretary to the Government in-charge, Home Department Member; and
- (iii) Principal Secretary to the Government, Law and Legal Affairs Department-cum-Legal Member.

Remembrancer

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) Every order passed by the Competent Authority under section 14, placed before the Review Committee, shall be considered by the Review Committee within ten days after its receipt, to decide whether the order, authorizing or approving the application under sub-section (4) of section 14, for interception or disapproving the interception made under sub-section (10) of that section in emergency situation, passed by the Competent Authority was necessary, reasonable and justified.

(4) The Review Committee, after examining the entire record and holding such enquiry, if any, deemed necessary may, by order in writing, either approve the order passed by the Competent Authority or may issue order disapproving the same. On issue of an order of disapproval by the Review Committee, the interception, if any, already commenced shall be forthwith discontinued. The intercepted communication, if any, in the form of tape, wire or other device shall, thereupon, not be admissible as evidence in any case and shall be directed to be destroyed.

16. Interception and disclosure of wire, electronic or oral communications prohibited.- Except as otherwise specifically provided in section 14, any police officer who-

(a) intentionally intercepts, endeavours to intercept or procures any other person to intercept or endeavour to intercept any wire, electronic or oral communication;

(b) intentionally uses, endeavours to use, or procures any other person to use or endeavours to use

any electronic, mechanical or other device to intercept any oral communication when-

- (i) such device is affixed to, or otherwise transmits a signal through a wire, cable, or other like connection used in wire communication; or
- (ii) such device transmits communications by radio, or interferes with the transmission of such communication;

(c) intentionally discloses, or endeavours to disclose, to any other person the contents of any wire, electronic or oral communication, knowing or having reason to know that the information was obtained through the interception of a wire, electronic or oral communication in violation of this sub-section;

(d) intentionally uses, or endeavours to use, the contents of any wire, electronic or oral communication, knowing or having reason to know that the information was obtained through the interception of a wire, electronic or oral communication in violation of this sub-section; or

(i) intentionally discloses, or endeavours to disclose, to any other person the contents of any wire, electronic or oral communication, intercepted by means authorized by section 14;

(ii) knowing or having reason to know that the information was obtained through the interception of such a communication in connection with a criminal investigation under this Act;

(iii) having obtained or received the information in connection with a criminal investigation; and

(iv) with intent to improperly obstruct, impede, or interfere with a duly authorized criminal investigation; or

(e) intentionally continues the interception of wire, electronic or oral communication after the issue of an order of disapproval by the Review Committee under subsection (4) of section 15, shall for such violation be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine upto rupees fifty thousand.

17. Special Rules of evidence.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code or the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act No. 1 of 1872), for the purposes of trial and punishment for offences under this Act or connected offences, the Court may take into consideration as having probative value, the fact that the accused was,-

- (a) on any previous occasion bound under section 107 or section 110 of the Code;
- (b) detained under any law relating to preventive detention; or
- (c) on any previous occasion was prosecuted in the Special Court under this Act.

(2) Where it is proved that any person involved in an organized crime or any person on his behalf is or has at any time been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, the Special Court shall, unless contrary is proved, presume that such property or pecuniary resources have been acquired or derived by his illegal activities.

(3) Where it is proved that the accused has kidnapped or abducted any person, the Special Court shall presume that it was for ransom.

18. Certain confessions made to police officer to be taken into consideration.- (1) Notwithstanding anything in the Code or in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act No. 1 of 1872) but subject to the provisions of this section, a confession

made by a person before a police officer not below the rank of the Superintendent of Police and recorded by such police officer either in writing or on any mechanical devices like cassettes, tapes or sound tracks from which sounds or images can be reproduced, shall be admissible in the trial of such person, co-accused, abettor or conspirator:

Provided that the co-accused, abettor or conspirator is charged and tried in the same case together with the accused.

(2) The confession shall be recorded in a free atmosphere in the same language in which the person is examined and as narrated by him.

(3) The police officer shall, before recording any confession under sub-section (1), explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that, if he does so, it may be used as evidence against him and such police officer shall not record any such confession unless upon questioning the person making it, he is satisfied that it is being made voluntarily. The concerned police officer shall, after recording such voluntary confession, certify in writing below the confession about his personal satisfaction of the voluntary character of such confession, putting the date and time of the same.

(4) Every confession recorded under sub-section (1) shall be sent forthwith to the Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate having jurisdiction over the area in which such confession has been recorded and such Magistrate shall forward the recorded confession so received to the Special Court which may take cognizance of the offence.

(5) The person from whom a confession has been recorded under sub-section (1) shall also be produced before the Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate to whom the confession is required to be sent under sub-section (4) along with the original statement of confession, written or recorded on mechanical device without unreasonable delay.

(6) The Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate shall scrupulously record the statement, if any, made by the accused so produced and get his signature and in case of any complaint of torture, the person shall be directed to be produced for medical examination before a Medical Officer not below the rank of an Assistant Civil Surgeon.

19. Protection of witnesses.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code, the proceedings under this Act may be held *in camera*, if the Special Court so desires.

(2) A Special Court may, on an application made by a witness in any proceeding before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures as it deems fit for keeping the identity and address of any witness secret.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (2), the measures which a Special Court may take under that sub-section may include,-

- (a) the holding of the proceedings at a place to be decided by the Special Court;
- (b) the avoiding of the mention of the names and addresses of the witnesses in its orders or judgments or in any records of the case accessible to public;
- (c) the issuing of any directions for securing that the identity and addresses of the witnesses are not disclosed;
- (d) that it is in the public interest to order that all or any of the proceedings pending before such a court shall not be published in any manner.

(4) Any person who contravenes any direction issued under sub-section (3) shall be punishable with imprisonment for a term

which may extend to one year and with fine which may extend to one thousand rupees.

20. Forfeiture and attachment of property.- (1) Where a person has been convicted of any offence punishable under this Act, the Special Court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare, that any property, movable or immovable or both, belonging to the accused and specified in the order, shall stand forfeited to the State Government, free from all encumbrances.

(2) Where any person is accused of any offence under this Act, it shall be open to the Special Court trying him, to pass an order that all or any properties, movable or immovable or both, belonging to him, shall, during the period of such trial, be attached, and where such trial ends in conviction, the properties so attached shall stand forfeited to the State Government, free from all encumbrances.

(3) (a) If, upon a report in writing made by an investigating police officer with the approval of the supervisory officer referred to in sub-section (1) of section 14, any Special Court has reason to believe that any person, who has committed an offence punishable under this Act has absconded or is concealing himself so that he may not be apprehended, such Court may, notwithstanding anything contained in section 82 of the Code, publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than fifteen days but not more than thirty days from the publication of such proclamation:

Provided that if the investigating police officer concerned fails to arrest the accused, who has absconded or is concealing himself, within a period of three months from the date of registering the offence against such person, the officer shall, on the expiry of the said period, make a report to the Special Court for issuing the proclamation.

(b) The Special Court issuing a proclamation under clause (a) may, at any time, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed person, and thereupon the provisions of sections 83 to 85 of the Code shall apply to such attachment as if such attachment were made under that Code.

(c) If, within six months from the date of attachment, any person, whose property is, or has been, at the disposal of the State Government under sub-section (2) of section 85 of the Code, appears voluntarily or is apprehended and brought before the Special Court by whose order the property was attached, or the Court to which such Court is subordinate, and proves to the satisfaction of such Court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding apprehension and that he had not received such notice of the proclamation as to enable him to attend within the specified time therein, such property or, if the same has been sold, the net proceeds of the same and the residue of the property, shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him.

21. Modified application of certain provisions of the code.- (1) Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law, every offence punishable under this Act shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (c) of section 2 of the Code and “cognizable case” as defined in that clause shall be construed accordingly.

(2) Section 167 of the Code shall apply in relation to a case involving an offence punishable under this Act subject to the modifications that, in sub-section (2),-

- (a) the references to “fifteen days” and “sixty days”, wherever occurring, shall be construed as references to “thirty days” and “ninety days” respectively;

- (b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that if it is not possible to complete the investigation within the said period of ninety days, the Special Court shall extend the said period upto one hundred and eighty days, on the report of the Public Prosecutor indicating the progress of the investigation and the specific reasons for the detention of the accused beyond the said period of ninety days.”.

(3) Nothing in section 438 of the Code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence punishable under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond, unless-

- (a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application of such release; and
- (b) where the Public Prosecutor opposes the application, the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code, the accused shall not be granted bail if it is noticed by the Court that he was on bail in an offence under this Act, or under any other Act, on the date of the offence in question.

(6) The limitations on granting of bail specified in subsection (4) are in addition to the limitations under the Code or any other law for the time being in force on the granting of bail.

(7) The police officer seeking the custody of any person for pre-indictment or pre-trial interrogation from the judicial custody shall file a written statement explaining the reason for seeking such custody and also for the delay, if any, in seeking the police custody.

22. Presumption as to offences under section 3.- (1) In a prosecution for an offence of organized crime punishable under section 3, if it is proved-

- (a) that unlawful arms and other material including documents or papers were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such unlawful arms and other material including documents or papers were used in the commission of such offence; or
- (b) that by the evidence of an expert, the finger prints of the accused were found at the site of the offence or on anything including unlawful arms and other material including documents or papers and vehicle used in connection with the commission of such offence, the Special Court shall presume, unless the contrary is proved, that the accused had committed such offence.

(2) In a prosecution for an offence of organized crime punishable under sub-section (2) of section 3, if it is proved that the accused rendered any financial assistance to a person accused of, or reasonably suspected of, an offence of organized crime, the Special Court shall presume, unless the contrary is proved, that such person has committed the offence under the said sub-section (2).

23. Cognizance of and Investigation into, an offence.- (1)

Notwithstanding anything contained in the Code,-

- (a) no information about the commission of an offence of organized crime under this Act, shall be recorded by a police officer without the prior approval of the of the police officer not below the rank Deputy Inspector General of Police;
- (b) no investigation of an offence under the provisions of this Act shall be carried out by a police officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police.

(2) No Special Court shall take cognizance of any offence under this Act without the previous sanction of the police officer not below the rank of Additional Director General of Police.

24. Punishment for public servants failing in the discharge of their duties.- Whoever being a public servant renders any help or support in any manner in the commission of organized crime as defined in clause (e) of section 2, whether before or after the commission of any offence by a member of an organized crime syndicate or abstains from taking lawful measures under this Act or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of the superior police officers in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and also with fine.

25. Overriding effect.- The provisions of this Act or any rule made thereunder or any order made under any such rule shall, have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having the force of law.

26. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or authority of the State Government

for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder or any order issued under any such rule.

27. Annual Report of Interceptions.- (1) The State Government shall cause an annual report to be prepared giving a full account of,-

- (i) the number of applications for authorization of interceptions received by the Competent Authority from the Police Department in which prosecutions have been launched;
- (ii) the number of such applications permitted or rejected;
- (iii) the number of interceptions carried out in emergency situations and the number of *ex-post-facto* authorizations or approvals granted or rejected in such matters;
- (iv) the number of prosecutions launched based on such interceptions and convictions resulting from such interceptions, along with an explanatory memorandum giving general assessment of the utility and importance of the interceptions authorized.

(2) Such annual report shall be laid by the State Government before the House of the State Legislature within three months of the completion of every calendar year:

Provided that if the State Government is of the opinion that the inclusion of any matter in the annual report would be prejudicial to the security of the State or to the prevention or detection of any organized crime, the State Government may exclude such matter from being included in such annual report.

28. Power of High Court to make rules.- The High Court may, by notification in the Official Gazette, make such rules as it

may deem necessary for carrying out the provisions of this Act relating to the Special Courts.

29. Power of State Government to make rules.- (1) Without prejudice to the powers of the High Court to make rules under section 28, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A study of crime trends in Rajasthan during the last decade has revealed that the State has been witnessing a shift in the patterns of crime. While earlier heinous crimes such as murder, dacoity, robbery, kidnapping and extortion were committed by individuals acting alone or in concert, the last decade has witnessed the rise of organized crime in Rajasthan. Gangs of new age criminals have started pursuing a life in crime as a well organized criminal enterprise.

Instances have come to notice where organized criminal gangs operating in certain districts of Rajasthan have established a well organized network of criminals including shooters, informers, spotters and arms suppliers. Properly structured with well defined membership and hierarchy, these gangs are primarily focusing on contract killings, threat based extortion from businessmen, smuggling of drugs, protection rackets etc. which have the potential to generate huge profits. These gangs utilize the proceeds of crime for amassing property, looking after their associates who are in jail, hiring expensive criminal lawyers and killing the witnesses who dare to testify against them.

Such criminals also exploit the reformatory and rehabilitative aspects of criminal law and procedure and upon being released from custody for committing further crimes. Over a period these gangs acquire a scary profile and image in the public which is larger than life. Such an image helps these gangs in extorting protection money from businessmen and industrialists, thus further enriching their coffers.

There is a rising consensus among the policy makers and internal security experts that such criminal activities require stringent law for effective tackling. Special legislations have already been enacted in some States. For example the State of Maharashtra had enacted Maharashtra Control of Organized Crime

Act in 1999(Act No. 30 of 1999) which was subsequently adopted by the National capital territory of Delhi also.

In view of the emerging situation of organized crime in the State of Rajasthan, it has become imperative to introduce a similar legislation in the State which ensures effective legal action against organized crimes. Such a strong legislation shall also suitably empower the police in a lawful manner to take strong and deterrent but lawful action against the criminals. Special provisions also need to be enacted for forfeiture of the property acquired from proceeds of crimes and to create a provision for special courts and special prosecutor for handling the trials of offences under this Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence this Bill.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(17) विधि/2/2023 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 2023
प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 5 and 8 of the Rajasthan Control of Organized Crime Bill, 2023 if enacted shall involve expenditure from the Consolidated Fund of the State.

Non-recurring and recurring expenditure to be incurred for the establishment of the Special Courts and appointment of Special Public Prosecutors have been computed.

For establishment of one Special Court and thus appointing one Special Public Prosecutor, an approximate non-recurring expenditure of rupees 3.32 crore shall be required for construction of building and development of basic infrastructure and approximately rupees 1.14 crore per annum may be required for recurring expenditure, which may grow with time. For this expenditure, an appropriate provision is being proposed in budget 2023-24.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 28 of the Bill, if enacted, shall empower the High Court to make rules for carrying out purposes of this Act relating to Special Courts.

Clause 29 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for carrying out purposes of this Act.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of details.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

**THE RAJASHTAN CONTROL OF ORGANIZED CRIME
BILL, 2023**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to make special provisions for prevention and control of, and for coping with, criminal activity by organized crime syndicate or gang, and for matters connected therewith or incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह के आपराधिक क्रियाकलाप के निवारण और नियंत्रण, और उससे निपटने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)